कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय।

पत्रांक भ– 41/जे0डी0/लखनऊ–14(जीएन)/280 दिनांक: 18-11-2014

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–6
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स आनन्द इन्फोएज प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–01, सेक्टर–143 बी, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडीः 2014/4727/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/696/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 12–11–2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराई गई तथा उनके द्वारा आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–प्लाट एरिया–1,00,980 वर्ग मी0 जिनमे प्रस्तावित आई0 टी0 टावर का कवर्ड एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क्रमांक	नाम तल	कवर्ड एरिया वर्ग मी0	अधिभोग
1	भूतल	25555.928	कार्यालय/कामर्शियल
2	प्रथम व द्वितीय	19405.424 प्रत्येक	आई0 टी0 टावर का
3	तृतीय	5765.738	कार्यालय
4	4,5,7,8,9,18 से 30 तक	5619.009 प्रत्येक	कार्यालय
5	10	5768.015	कार्यालय
6	11 से 15 तक	5617.32 प्रत्येक	कार्यालय
7	ऊँचाई	125.80 मीटर	–

बेसमेन्टः– प्रश्नगत भवन मे डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे प्रत्येक का कवर्ड एरिया–87,488.28 वर्ग मीटर।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग बिजनेस/ कामर्शियल (एन0बी0सी–2005 कार्यालय श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– **पहुच मार्गः**– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 45 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–**प्रवेश द्वारः**– प्रवेश द्वार की चौडाई 06.00 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

3–**सैटबेकः**– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–16.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–12.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 09 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– **निकास मार्गः**– प्रस्तावित भवन आई0टी0 टावर मे न्यूनतम 04 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 प्रस्तावित है, तथा बेसमेन्ट मे 02 रैम्प प्रस्तावित है। निकास मार्गो की फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

कृते संयुक्त निदेशक
फा0स0, लखनऊ

4–रिफ्यूज एरिया:– भवन के मानचित्रों मे रिफ्यूज एरिया का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत:–प्रश्नगत भवन मे 3,00,000.00 तीन लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक अग्निशमन हेतु कार्यो हेतु वॉच्छनीय है।

2–पम्पस:–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प जो मल्टी आउटलेट मल्टीहैड श्रेणी के एसएफपीई मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंक:–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 50,000 ली0, स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है जो मानको के अनुसार है।

4–होजरील:– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील एवं लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक तल पर 03 कि0ग्रा0/वर्ग से0मी0 प्रेशर उपलब्ध हों।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन सुपर हाई राईज है जिसमे वेटराईजर सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम की रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0एफ0पी0ए0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है तथा यह सुनिश्चित किया जायें कि प्रत्येक तल पर स्प्रिंकलर सिस्टम को संसाधनों यथा ग्रेविट व पम्प फीड से सप्लाई होगी ताकि किसी एक मे खराबी आ जाने के फलस्वरूप कार्यशीलता किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडें।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है। डिटेक्शन सिस्टम को बिल्डिंग मेनेजमेन्ट सिस्टम को इण्टीग्रेट किया गया है ताकि डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होने के साथ समस्त फायर प्रिवेन्शन एण्ड प्रोटेक्शन सिस्टम मे वॉच्छनीय व्यवस्थायें यथा प्रेशराईजेशन, लिफट एवं स्टेयरवैल लाइटिंग, स्मोक एक्सट्रक्शन सिस्टम आदि से इण्टीग्रेट रहेगे।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 एवं एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन:– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन हेतु सैण्डविच प्रणाली को अपनाया गया जिसमे फायर फलोर पर (-ve) नैगेटिव प्रेशर एवं उपरी व नीचे तल पर (+ve) पोजेटिव प्रेशर का प्राविधान किया गया है। बेसमेन्ट मे डक्टिड एक्सट्रक्शन सिस्टम ही मान्य होगा पोडियम पर जैट फैन का प्राविधान प्रस्तावित है।

12–निकास मार्गो/ रिफयूज एरिया / लिफटवैल/ लिफट लाबी का प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन मे समस्त निकास मार्गो यथा स्टेयरकेश, लिफ्ट, एवं कोरिडोर का प्रेशराईजेशन एनएफपीए मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–पी0ए0 सिस्टम:– प्रश्नगत मे इण्टीग्रटिड बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम प्रस्तावित है, परन्तु लोकल इण्टरकाम की व्यवस्था की अलग से की जानी

15–हैलीपेड:– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे प्रस्तावित है।

16–प्रशिक्षित स्टॉफ:– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

17–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है। सभी आपातकालीन व्यवस्थाऐं जैसे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन डक्ट, लिफट केबल, एवं फायर पम्प आदि के केबल फायर प्रूफ यू0एल0 लिस्टिड प्रोडक्ट होगे।

18–कन्ट्रोल रूम:– प्रश्नगत भवन मे कन्ट्रोल रूम की स्थापना करायी जाये जिसमे पूरे भवन का डिटेक्शन सिस्टम का पैनल एवं अग्निशमन व्यवस्था के समस्त आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित हो तथा जिसमे प्रशिक्षत स्टॉफ नियुक्त होगा।

विशेष शर्तें:– प्रश्नगत भवन सुपर हाई राहज है जिसकी परिकल्पना एन0बी0सी0–2005 मे नही की गयी है अतः भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अन्राष्ट्रीय मानको के प्राविधानों के अतिरिक्त निम्नांकित विशेष प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाना वाच्छनीय है:–

1–भवन के चारो ओर 09 मीटर का मोटरेबुल स्पेस छोडा जाना आवश्यक होगा यह समस्त स्पेस 75 टन भार क्षमता के कम का नही होगा।

2–यद्यपि भवन बालकनी युक्त है, एवं रिफयूज एरिया का तलो पर प्राविधान किया गया है जिसकी क्षमता रिफयूज एरिया के उपर आने वाले तलों की जनसख्या के अनुरूप रखी जाये।

3–प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे फायर टावर का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

18/11

उ०प्र०, लखनऊ

4–रिफ्यूज एरिया से रिफ्यूज एरिया एवं भूतल से रिफ्यूज एरिया तक एक्सप्रेस लिफ्ट का प्राविधान इवेक्युवेशन हेतु किया जाना आवश्यक है जिसकी संचालन सुविधाऐं पूर्णतया अग्नि निरोधक एवं इनक्लोजर सुविधाऐं 4 घण्टे तापरोधी क्षमता की आवश्यक है।

5–भवन मे इवेक्यूशन व आपातकालीन परिस्थितियों मे आग व जीव रक्षा कार्यो हेतु बने रिफ्यूज एरिया मे प्रशिक्षण युक्त फायर फाईटिंग व रेस्क्यू क्रयू जिसमे शिफ्ट मे न्यूनतम संख्या 08 होगी तथा यह यूनिट निम्नांकित अग्नि व जीव रक्षा उपकरणों से युक्त होगी:–

ए0–बी0ए0 सैट–04 अदद।

बी0–हाइड्रोलिक कटर एण्ड स्प्रेडर।

सी0–इन्सूलेटिड फायरमैन एक्स।

डी0–फर्स्ट एड किट।

ई0–स्कूप स्ट्रेचर–06 अदद।

एफ–जम्पिंग शीट।

जी0–पूरे भवन हेतु प्रशिक्षित फायर आफिसर।

6–भवन के मध्य भाग मे स्थापित लिफ्ट बैंक व स्टेयरकेस का प्रेशराईजेशन स्टेक इफैक्ट को घ्यान मे रखकर डिजायन किया जायें।

7–भवन मे स्थापित की जा रही सर्विस शाफट प्रत्येक तल पर 4 घण्टे तापरोधी क्षमता के मैटीरियल से शील्ड की जायें तथा भवन मे प्रयोग होन वाले समस्त केबिल एफ0आर0एच0 अथवा बेहतर श्रेणी के होगे।

8–भवन मे प्रयोग की जाने वाली गैस पाइप लाइन हेतु एक पृथक शाफट का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

9–सर्विस शाफ्ट के दरवाजे फायर चैक डोर एवं स्प्रिंकलर व डिटेक्टर्स युक्त होगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स आनन्द इन्फोएज प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–01, सेक्टर–143 बी, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित कार्यालय/ कामर्शियल भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0 के0 राय)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स आनन्द इन्फोएज प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–01, सेक्टर–143 बी, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।